

श्री
श्री

हुमन या कारीवाही मग बुनिशियल जाम

नम्बर व तारीख
आहकाम जो इस
हुमन की तारीख
में जारी हुए

3
24

पञ्जावली पेश हुई। आज १०
अन्ध राजकार्य/पर्याप्त-मौत-के
हुमन-आमिशन-2010 में खरत हैं
जिसकी अन्तिम आदेश दिनांक 27/7/24

27
24

पञ्जावली पेश हुई। आज १०
अन्ध राजकार्य/पर्याप्त-मौत-के
हुमन-आमिशन-2010 में खरत हैं
जिसकी अन्तिम आदेश दिनांक 27/7/24

1
10
24

पञ्जावली पेश हुई
अधिकाधिक रस कर्म बनिष्कार
आमिशन तारीख 18/12/24

10
12
24

पञ्जावली पेश हुई। आज १० साहब
अन्ध राजकार्य में खरत हैं। अतः
पञ्जावली गलादेशानुसार दिनांक 10/1/25
को पेश हों।

7
25

पञ्जावली पेश हुई। आज १० साहब
अन्ध राजकार्य में खरत हैं। अतः
पञ्जावली गलादेशानुसार दिनांक 10/1/25
को पेश हों।

20
25

पञ्जावली पेश हुई। आज १० साहब
अन्ध राजकार्य में खरत हैं। अतः
पञ्जावली गलादेशानुसार दिनांक 10/1/25
को पेश हों।

उपस्थित अधिकारी
निर्वाह (दोका)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाड़ी, जिला टोंक
(पीठासीन अधिकारी: सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद (प्रार्थनापत्र) संख्या— 25/2022
प्रविष्टि दिनांक — 16.2.2022

उनवान

1. रामकिशोर पुत्र रामगोपाल जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम जगमोहनपुरा पोस्ट बिडोली तहसील निवाड़ी जिला टोंक

—आवेदक वादी

बनाम

1. तहसीलदार निवाड़ी जिला टोंक

विपक्षी

उपस्थित—श्री भंवरलाल तिवारी—वकील वादी
पैरोकार सरकार—वकील प्रतिवादी

निर्णय

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट
दुरुस्त किये जाने रिकार्ड**

दिनांक : 20/1/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत किया जिसमें अंकितानुसार प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि खसरा नंबर 237/294 रकबा 19 बिस्वा में प्रार्थी का हिस्सा 1/133 एवं खसरा नंबर 233 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 234 रकबा 16 बिस्वा, ख.न. 235 रकबा 19 बिस्वा, ख.न. 236 रकबा 4 बिस्वा, ख.न. 268 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कुल किता-5 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा में प्रार्थी का 1/14 हिस्सा है एवं खसरा नंबर 238 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 238/295 रकबा 18 बिस्वा कुल किता-2, कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थी का हिस्सा 1/7 एवं खसरा नंबर 237 रकबा 1 बीघा में प्रार्थी का हिस्सा 1/140 वाके ग्राम जगमोहनपुरा पटवार हल्का बिडोली तहसील निवाड़ी में स्थित है जिसका प्रार्थी एक मात्र खातेदार काबिज काशतकार चला आ रहा है। प्रार्थी का समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड बैंक पासबुक आदि में नाम किशोर है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम किसोर राजस्व कर्मचारियों द्वारा अंकित कर रखा है तथा इसी प्रकार प्रार्थी के पिता का पूरा नाम रामगोपाल है किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने जमाबंदी में उसके पिता का नाम गोपाल कर रखा है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से प्रार्थी व उसके पिता का नाम सही अंकित नहीं किया गया है। अतः उक्त भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि में दर्ज किसोर पुत्र गोपाल के स्थान पर रामकिशोर पुत्र रामगोपाल दुरुस्त किया जावे। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी को सही किया जावे।

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड, लाईसेंस, पेन कार्ड, जमाबंदी संवत् 2072-75, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जिसमें अंकितानुसार ग्राम जगमोहनपुरा निवासी रामकिशोर पुत्र रामगोपाल जाति ब्राहमण द्वारा ग्राम जगमोहनपुरा के खाता सं० 17, 4, 19, 18 के अन्तर्गत दर्ज सहखातेदार किसोर पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण के स्थान पर रामकिशोर पुत्र रामगोपाल अंकित करवाना चाहते हैं। उक्त सम्पूर्ण भूमि विक्रय पत्र दिनांक 22.7.1999 से क्रय की गई है जिसमें वादी का नाम किसोर पुत्र गोपाल अंकित हैं

अधिकारी

उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामान्तरकरण सं० 132 दिनांक 5.8.2003 दर्ज किया गया है जिसमें विक्रय पत्र के अनुसार किसोर पुत्र गोपाल दर्ज किया गया है। मजमेआम में जांच करने पर किसोर व रामकिशोर पि. गोपाल /रामगोपाल जाति ब्राह्मण के नाम से ग्राम जगमोहनपुरा में एक मात्र वादी ही होना बताया है। अतः किसोर पुत्र गोपाल जाति ब्राह्मण के स्थान पर रामकिशोर पुत्र रामगोपाल अंकित किया जाना न्यायसंगत है।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की पुष्टि में नामान्तरकरण सं० 132 प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में मौका पर्चा के अनुसार बोलचाल की भाषा में रामकिशोर पुत्र रामगोपाल के स्थान पर किसोर पुत्र गोपाल होना बताया।

आवेदक द्वारा अपने वाद पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र एवं ग्राम पंचायत बिडोली का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। प्रमाण पत्र अनुसार रामकिशोर पुत्र रामगोपाल, किशन पुत्र रामगोपाल, दिनेश पुत्र रामगोपाल शुद्ध किया जावे।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों के परीक्षण में पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण में अंकितानुसार अंकन विक्रय पत्र के आधार पर किया गया है जिसमें प्रार्थी के भाई जो कि विवादित भूमि में सहखातेदार कैलाश हरि कृष्ण रामस्वरूप रामधन कमलेश पि० गोपाल के रूप में अंकित है, जिनके पिता का नाम भी गोपाल ही अंकित है लेकिन प्रकरण में ये सहखातेदार पक्षकार नहीं है। यदि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामगोपाल है तो सभी भाईयों के पिता का नाम रामगोपाल होना चाहिए। लेकिन अन्य सहखातेदारों द्वारा कोई अधियाचना नहीं की गई है। प्रार्थनापत्र में अंकितानुसार तथाकथित त्रुटि के संबंध में पत्रावली पर विक्रय पत्र भी उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह अंकित किया गया है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम किसोर गलत अंकित कर दिया तथा प्रार्थी के पिता का रामगोपाल के स्थान पर गोपाल अंकित कर दिया। लेकिन उक्त त्रुटि कहां व किस प्रकार व कब हुई है यह किसी भी साक्ष्य से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। प्रार्थनापत्र के तथ्यों के विपरीत पैरोकार सरकार के जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि विक्रय पत्र से क्रय की गई है जिसका नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर ही भरा गया है। अर्थात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्त विवेचन से तो स्पष्ट है कि त्रुटि विक्रय पत्र में हुई है जिसमें संशोधन का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अतः साक्ष्य दस्तावेज के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट बाबत खसरा नंबर 237/294, कुल किता-1, कुल रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 233, खसरा नंबर 234 ख.न. 235, ख.न. 236, ख.न. 268 कुल किता-5 कुल रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 238, खसरा नंबर 238/295 कुल किता- 2, कुल रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में खसरा नंबर 237 कुल किता-1, कुल रकबा 1 बीघा वाके ग्राम जगमोहनपुरा पटवार हल्का बीडोली, तहसील निवाई जिला टोंक विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थनापत्र पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नंबर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/11/25.....लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई